



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन ,पुलिस कमिश्नरेट ,वाराणसी।

### प्रेस नोट

दिनांक- 19-09-2021

थाना चेतगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0-194/2019 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01.मो0 वसीम पुत्र स्व0 तमीज़ अहमद निवासी किराये का मकान वकीलन चौरहत मुगलसराय, चंदौली तथा 02. सलीम मलिक पुत्र चमन मलिक निवासी किराये का मकान वकीलन चौरहत मुगलसराय, चंदौली को मानिट्रिंग सेल व प्रभारी निरीक्षक थाना चेतगंज की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 18.09.2021 को मा0 विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर कोर्ट जनपद वाराणसी द्वारा धारा उपरोक्त के अंतर्गत दोषी पाते हुए दोनों अभियुक्तों को दो वर्ष तीन माह के साधारण कारावास व अंकन रु0- 5,000/- 5,000/-(पाँच-पाँच हजार रुपए) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा। प्रस्तुत मामले मे अभियुक्तगण द्वारा जेल मे बिताई अवधि न्यायालय द्वारा दिए गए दण्ड मे समायोजित की जायेगी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी